निर्यात नीति

उत्तर प्रदेश

2015-20

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम

तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उत्तर प्रदेश

अनुक्रमणिका

	प्रस्तावना
1	निर्यात नीति के प्रतिपादन की आवश्यकता
2.1	दृष्टिकोण
2.2	मिशन
2.3	उद्देश्य
2.4	रणनीति
3	नीति के परिचालन की कार्य योजना
3.1	अवस्थापना विकास
3.2	वित्तीय प्रोत्साहन
3.3	प्रशासनिक उपाय
3.4	प्रोत्साहन सुविधायें
3.5	अन्य उपाय
4	नीति का कार्यान्वयन और निगरानी

प्रस्तावना

उत्तर प्रदेश 243,290 वर्ग मीटर भू-भाग के साथ ऊपरी गंगा के मैदान के एक बेहद उपजाऊ बड़े हिस्से से आच्छादित 20 करोड़ से अधिक की आबादी वाला भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। राज्य प्राकतिक संपदा से संपन्न है। बेहतर बुनियादी ढांचा, अनुकूल नीतिगत ढांचे, वृहद संख्या में कुशल व अर्ध-कुशल कार्यबल की उपलब्धता और निजी निवेश के लिए अनुकूल वातावरण के साथ युग्मित उत्तर प्रदेश निवेशकों और उद्यमियों के लिए सबसे आकर्षक गंतव्यों में से एक बन चुका है। राज्य एम.एस.एम.ई. की संख्या की दृष्टि से देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य और सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार है। राज्य को देश की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है।

उ0प्र0 में विदेशी व्यापार की एक प्राचीन ऐतिहासिक परंपरा है। प्रदेश की हस्तकला, वस्त्र (हथकरघा व पावरलूम), हस्तनिर्मित कालीन में देश के निर्यात में प्रमुख साझेदारी है। पिछले दो दशकों में राज्य, चमड़ा और चमड़े के सामान, चमड़े के जूते, सैडलरी, चीनी, इंजीनियरिंग / ऑटोमोबाइल हार्डवेयर (प्रसंस्कृत मांस सहित) खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों, रेडीमेड गारमेंट्स, होम फर्निशिंग, खेल-कूद का सामान, रत्न एवं आभूषण आदि के निर्यात में एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में उभरा है। उत्तर प्रदेश की सॉफ्टवेयर और अन्य सेवाओं के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर किये जाने वाले निर्यात का 38 प्रतिशत, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर के निर्यात में 13.4 प्रतिशत की हिस्सेदारी है।

उत्तर प्रदेश देश के कतिपय ऐसे राज्यों में से एक है जहॉ निर्यात संवर्धन के लिए प्रभावी कदम उठाने के उद्देश्य से पूर्णतः निर्यात प्रोत्साहन को समर्पित एक अलग विभाग का गठन किया गया है । उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो द्वारा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रोत्साहन संबंधी योजनाओं का सक्रिय क्रियान्वयन किया जा रहा है।

1. निर्यात नीति के प्रतिपादन की आवश्यकता

उत्तर प्रदेश का देश से किये जाने वाले निर्यात में छठा स्थान है। प्रदेश की निर्यात सामर्थ्य का अनुकूलतम दोहन एवं समस्त स्टेक होल्डर्स के समन्वित प्रयासों से निर्यात के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने के उद्देश्य से निर्यात नीति उत्तर प्रदेश 2015-20 बनायी जा रही है।

2.1 दृष्टिकोण

उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार के माध्यम से उत्कृष्टता प्राप्त करना ताकि प्रत्येक पांच वर्ष में देश के निर्यात में प्रदेश की भागीदारी को दोगुना करके प्रदेश के आर्थिक विकास के पथ को प्रशस्त किया जा सके।

2.2 मिशन

नीति में निर्यात वृद्धि हेतु अनुकूल और समन्वित वातावरण के निर्माण के साथ अगले पांच साल के लिए 36 प्रतिशत प्रति वर्ष औसत निर्यात वृद्धि प्राप्त करते हुए 12वीं पंचवषीय योजना के अंत तक प्रदेश से किये जाने वाले निर्यात को दो लाख करोड़ रुपए के स्तर तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

2.3 उद्देश्य

2.3.1 निर्यात नीति का उद्देश्य निर्यात में तेजी और सतत विकास के लिए उच्च परिणामजनक बुनियादी सुविधाओं का सृजन करना ।

2.3.2 मौजूदा निर्यात परक उद्योगों पर ध्यान केंद्रित कर उन्हें निर्यात करने के लिए और बढ़ावा देने हेतु आवश्यक समर्थन प्रदान करना।

2.3.3 बेहतर निर्यात क्षमता वाले उत्पादों के उद्योगों को प्रोत्साहित करना तथा नई निर्यात उन्मुख इकाइयों को उत्तर प्रदेश में अपना आधार स्थापित करने हेतु एक अनुकूल वातावरण प्रदान करना।

2.3.5 हस्तशिल्प, कालीन और हथकरघा वस्त्र जैसे पारंपरिक निर्यात क्षेत्रों में मूल्य संवर्धन और गुणात्मक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने हेतु प्रौद्योगिकी, डिजाइन विकास और कौशल उन्नयन प्रदान करना।

2.3.6 गैर परंपरागत क्षेत्रों जैसे इलेक्ट्रानिक्स और सॉफ्टवेयर, सेवाओं, जैव प्रौद्योगिकी आदि के क्षेत्र में निर्यात की क्षमता बढ़ाना।

2.3.7 बागवानी उत्पाद, अन्य प्रसंस्कृत उत्पादों और अनाज, कुक्कुट एवं अण्डा, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद के क्षेत्र की निर्यात क्षमता बढ़ायी जायेगी।

2.3.8 निर्यात में निरंतर उन्नयन के लिए क्षमता विकास को प्रोत्साहित करना।

2.3.9 मूल्य वर्धित उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना।

2.3.10 विशेष ट्रेडों में मानव संसाधन प्रतिभा के पूल के विकास के लिए संस्थागत ढांचा प्रदान करना।

2.3.11 निर्यात में निर्बाध विकास के लिए एक सरल, पारदशी और उत्तरदायी विनियामक वातावरण विकसित करना।

2.3.12 भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति अंतर्गत प्रदेश के निर्यात प्रधान नगरों को "town of excellence" योग्य बनाना।

2.4 रणनीति

वर्ष 2017 तक प्रदेश से किये जाने वाले निर्यात को दो लाख करोड़ के स्तर तक पहुँचाने एवं प्रत्येक पॉच वर्ष में देश से किये जाने वाले निर्यात में प्रदेश की हिस्सेदारी दो गुणा करने के उद्देश्य से प्रदेश के उद्यमियों, हस्तशिल्पियों एवं निर्यातकों की कुशलता में वृद्धि करते हुए उनकी प्रतिस्पर्धी सामर्थ्य में विकास हेतु राज्य द्वारा सक्रिय, सहायक एवं सरल तन्त्र की स्थापना हेतु निम्नानुसार रणनीति तैयार की गयी है:-

2.4.1 निर्यात संवर्धन परिषदों, उत्पाद आधारित निर्यात संगठनों से उनका सहयोग और फीडबैक प्राप्त करने हेतु नेटवर्किंग सुदृढ़ करना।

2.4.2 निर्यातकों के लिए ई-गवर्नेंस का समर्थन प्रदान करना।

2.4.3 राज्य से निर्यात और निर्यातकों पर विश्लेषणात्मक डेटाबेस बनाना एवं निर्यात पोर्टल विकसित करना।

2.4.4 प्रतिस्पधी निर्यात अवस्थापना के विकास में सार्वजनिक-निजी पहल को बढ़ावा देना।

2.4.5 निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य में एक संस्थागत तंत्र की स्थापना करना यथा राज्य स्तरीय निर्यात संवर्धन परिषद, निर्यात संवर्धन समिति और जिला स्तरीय निर्यात संवर्धन समिति।

2.4.6 निर्यात सम्बधित मुद्दों के निस्तारण हेतु राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति और निर्यात बंधु का गठन।

2.4.7 वैश्विक बाजार में परंपरागत निर्यात के अतिरिक्त सूचना प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रसंस्करण, इलेक्ट्रानिक्स और संचार, गारमेंट्स, मशीन टूल्स और प्रेसिजन इंजीनियरिंग सामान आदि प्रतिस्पर्धी लाभों को उत्प्रेरित करने पर ध्यान केंद्रित करना।

2.4.8 निर्यात से संबंधित आवश्यक जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से विशेषज्ञों, सलाहकार और प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों की सेवांए लेते हुए वर्ष में कम से कम एक बार, वृहद व व्यापक सेमिनार/कार्यशाला का आयोजन तथा विशिष्ट निर्यात क्षेत्रों के स्थानों पर क्रेता और विक्रेता (Buyers/sellers Meet) बैठकों का आयोजन।

2.4.9 फोकस देशों में विषय क्षेत्र के अध्ययन हेतु सरकारी अधिकारियों और विषय क्षेत्रों के निर्यातकों के प्रतिनिधिमंडल द्वारा नियमित भ्रमण की व्यवस्था।

2.4.10 निर्यात योग्य उत्पादों विशेष संहत क्षेत्र विकसित करना, जैविक उत्पादन को प्रोत्साहित करना, फल मक्खी(फ्रूट फ्लाई) मुक्त क्षेत्र विकसित करना तथा कृषि उत्पादों के समुद्री मार्ग से निर्यात के लिये प्रोटोकाल विकसित करना।

3. नीति के परिचालन की कार्य योजना :

3.1 अवस्थापना विकास

प्रदेश के निर्यातोन्मुखी उद्योगों की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु सम्यक योजनाओं का संचालन व विकास किया जायेगा।

3.1.1 निर्यात परक अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु योजना बनायी जायेगी।

3.1.2 निर्यात बाहुल्य क्षेत्र/नगर में सड़कों के सुदृढ़ीकरण को प्राथमिकता।

3.1.3 निर्यात बाहुल्य क्षेत्रों/शहरों के लिये नागरिक सुविधाएं, निर्बाध बिजली आपूर्ति, दूरसंचार सुविधाओं के उन्नयन हेतु प्रयास किया जाएगा।

3.1.4 प्रदेश में आवश्यकतानुसार एक आधुनिक डाइंग हाउस की स्थापना पर विचार किया जाएगा।

3.1.5 उच्च गुणवत्ता का कच्चा माल उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने हेतु रॉ-मैटेरियल बैंक की स्थापना पर विचार किया जायेगा।

3.1.6 भंडारण सुविधाओं One Stop Sourcing Hub से सम्बन्धित आधारभूत अवस्थापना सुविधाओं को निजी सहभागिता के आधार पर विकसित किया जायेगा।

3.1.7 प्रदेश में स्थापित विभिन्न निर्यात उत्पादों से संबंधित तकनीकी केन्द्रों को अधिक जनोपयोगी बनाये जाने के प्रयास किये जायेंगे।

3.1.8 प्रसंस्कृत खाद्य, कुक्कुट एवं अण्डा, मीट, पशुधन एवं चर्म उद्योग से सम्बन्धित मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं जैसे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की टेस्टिंग लैब, कोल्ड चेन कोरिडोर निर्यात पार्क के क्लस्टर अप्रोच आधारित विकास पर बल दिया जायेगा।

3.1.9 राज्य में अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप टेस्टिंग लैब की स्थापना के साथ-साथ निजी क्षेत्र में पूर्व स्थापित परीक्षण प्रयोगशालाओं को अन्तर्राष्ट्रीय प्रमाणन एजेन्सियों से प्रमाणन अधिकारों के प्रतिनिधायन का प्रयास।

3.1.10 वर्तमान में संचालित इनलेण्ड कन्टेनर डिपोज (आईसीडी)/सीएफएस की आवश्यकतानुरूप क्षमता-विस्तार करने पर बल दिया जायेगा।

3.1.11 प्रदेश में निर्यात को बढ़ावा देने हेतु निर्यात भवन की स्थापना पर विचार किया जायेगा।

3.2.1 निर्यात संवर्धन से सम्बन्धित विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को आवश्यकतानुसार युक्तिसंगत बनाया जायेगा।

3.2.2 अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के अंतर्गत निर्यात प्रोत्साहन हेतु घोषित नीतियां भी इस नीति के तहत अनुमन्य होंगी।

3.3 प्रशासनिक उपाय

3.3.1 औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में अम्ब्रेला आर्गनाईजेशन का गठन किया जायेगा। इसमें निर्यात से जुड़े विभागों के प्रमुख सचिव सदस्य एवं प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन सदस्य सचिव होंगे।

3.3.2 मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक प्राधिकृत समिति का गठन किया जायेगा। इस समिति में निर्यात परक गतिविधियों से सम्बन्धित केन्द्र एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, निर्यात सम्वर्धन परिषदों एवं शीर्षस्थ निर्यातक संगठनों के अधिकारी शामिल होंगे। यह समिति निर्यात बन्धु के रूप में भी नामित की जायेगी।

3.3.3 निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो को **सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स** के रूप में विकसित किया जायेगा।

3.4 नीतिगत सुधार-

3.4.1 वाणिज्य कर- निर्यात उत्पादन में प्रयुक्त कच्चे माल एवं पैकिंग मटीरियल पर वाणिज्य कर लेवी नहीं लेने पर विचार किया जायेगा। निरीक्षण तथा अन्य औपचारिकताओं से संबंधित विभिन्न बाधाओं को दूर करने हेतु युक्तिसंगत प्रक्रियायें अपनायी जायेंगी।

3.4.2 मंडी शुल्क - कृषि उत्पादों के विपणन पर किसानों एवं क्रेता व्यापारी से लिये जाने वाले शुल्क को युक्तिसंगत बनाये जाने पर विचार किया जायेगा।

3.4.3 श्रम कल्याण- कारीगरों व कुशल श्रमिकों हेतु वेलफेयर फण्ड की स्थापना, निर्यातोन्मुखी श्रम कल्याण प्राविधानों को लागू करने पर समुचित संवेदनशीलता बरती जायेगी।

3.4.4 कौशल श्रमिकों/कारीगरों की निर्यातोन्मुखी उद्यमों में महत्वपूर्ण भागीदारी को दृष्टिगत रखते हुए 'कौशल विकास मिशन' अंतर्गत कुशल श्रमिकों के प्रशिक्षण हेतु रणनीति तैयार की जायेगी।

3.4.5 खाद्य सुरक्षा शिक्षा को स्नातक स्तरीय पाठयक्रमों में शामिल किये जाने पर विचार किया जायेगा तथा परम्परागत हस्तशिल्प की जीवंतता बनाये रखने हेतु कौशल विकास मिशन तथा उद्यमिता विकास संस्थान में शिल्पकारों के प्रशिक्षण की विशेष व्यवस्था भी की जायेगी।

3.5 अन्य उपाय

3.5.1 प्रदेश से निर्यात को बढ़ावा दिये जाने के उद्देश्य से उत्तरी अमेरिका, यूरोप, लेटिन अमेरिका, अफ्रीका, आसियान, सार्क, सी.आई.एस., मध्य पूर्व के देशों एवं अन्य विदेशी बाजारों के अध्ययन हेतु निर्यातक इकाईयों, उद्यमियों एवं हस्तशिल्पियों के प्रतिनिधि मण्डलों को प्रोत्साहित करना तथा उत्तर प्रदेश को एक प्रमुख निर्यातक राज्य के रूप में प्रसिद्धि अर्जित करने का प्रयास किया जायेगा।

3.5.2 विशिष्ट भौगोलिक पहचान रखने वाले प्रमुख उत्पादों, हस्तशिल्पों का जीआई पंजीयन करवाने एवं इसका वास्तविक लाभ उत्पादकों एवं हस्तशिल्पियों को पहुंचाने हेतु कार्ययोजना बनायी जायेगी तथा इनकी विशिष्टता की अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रान्डिंग की जायेगी।

3.5.3 विदेशी पर्यटकों द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा को डीम्ड एक्सपोर्ट के रूप में संज्ञानित किये जाने हेतु आवश्यक तन्त्र विकसित किया जायेगा।

4 नीति का क्रियान्वयन और निगरानी

4.1 संबंधित विभागों द्वारा आवश्यक सरकारी आदेश और नियमों आदि को जारी कराते हुए नीति का समयबद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा।

4.2 नीति के कार्यान्वयन का अनुश्रवण मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित एक समिति द्वारा किया जाएगा। संबंधित विभागों के प्रमुख सचिव इसके सदस्य होंगे तथा प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग उक्त समिति के सदस्य सचिव/नोडल अधिकारी होंगे।

4.3 निर्यात नीति के क्रियान्वयन का अनुश्रवण निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो के माध्यम से किया जायेगा।

ह0
(सुधीर गर्ग)
प्रमुख सचिव।